प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 30.11.2025

थाना रायपुर व थाना मांची पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान दो गौ-तस्कर गिरफ्तार, एक पीकप वाहन से कुल 07 राशि गोवंश, 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा मिस कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस (315 बोर) बरामद-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री राज सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रायपुर व थाना मांची पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गोवंश तस्करों के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त की गई।

दिनांक 29/30.11.2025 की रात्रि 00.30 बजे थाना रायपुर व थाना मांची पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही गश्त व चेकिंग के दौरान खलियारी–दरमा मार्ग पर एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर वाहन सवार तेज गति से भागने लगे तथा कच्चे रास्ते में वाहन फँस जाने पर दोनों आरोपी जंगल की ओर भागे। पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी किए जाने पर एक अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा फायर किया गया, जिससे गोली प्रभारी निरीक्षक के सिर के ऊपर से निकल गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा एवं बदमाश नियंत्रणार्थ की गई कार्यवाही में एक बदमाश (जियाउल उर्फ जियाउद्दीन) के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर तत्काल उपचार हेतु CHC वैनी भेजा गया। दूसरा बदमाश रिशु यादव उर्फ विकास यादव मौके पर ही आत्मसमर्पण कर गिरफ्तार हुआ। मौके पर फॉरेंसिक टीम द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलन (वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी/कारतूस/अस्त्र सीलिंग) की कार्रवाई की गई। बरामद गोवंश को सुरक्षित थाना लाया गया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रायपुर पर मु0अ0सं0- /2025 धारा 109 BNS, 3/25 आर्म्स एक्ट, 3/5A/5B/8 उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम का अभियोक पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- दोनों अभियुक्तों जियाउल उर्फ जियाउद्दीन और रिशु यादव उर्फ विकास यादव से की गई पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे पिकअप वाहन में 07 राशि गोवंश लादकर बिहार ले जा रहे थे। पुलिस को अचानक सामने देखकर वे घबरा गए और भागने के प्रयास में गाड़ी मिट्टी में फँस गई, जिसके बाद दोनों जंगल की ओर भागे। अभियुक्त जियाउल ने यह भी बताया कि साथी रिशु यादव के उकसाने पर उसने पुलिस को रोकने एवं स्वयं को बचाने की नीयत से तमंचे से फायर किया। पूछताछ में उन्होंने आगे खुलासा किया कि गोवंश उन्हें प्रमोद, शिवमंगल यादव तथा विनोद व गोरख खटिक (जो दोनो भाई हैं) द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें वे भगवान यादव पुत्र रामदुलार यादव निवासी निरंजनपुर थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार और विकास यादव पुत्र बुट्टन यादव निवासी ग्राम झरिया थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार के निर्देश पर बिहार ले जा रहे थे, जहाँ से ये पशु बध हेतु आगे बंगाल भेजे जाते हैं और प्राप्त धनराशि सभी में बराबर बाँट ली जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. जियाउल उर्फ जियाउद्दीन, पुत्र अहमद अली उर्फ डंगर, निवासी खुटहनियां थाना करमा, जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 28 वर्ष।
2. रिशु यादव उर्फ विकास यादव, पुत्र स्व. जोगेन्द्र यादव, निवासी नकबई सतौन्हा थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 07 राशि गोवंश (गाय/बछड़ा/बैल) पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक लदे हुए।
- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिंदा मिस कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस (315 बोर)
- 01 अदद खोखा कारतूस 9 MM (पुलिस पार्टी का)
- एक पिकअप वाहन
- 03 मोबाइल फोन

पुलिस टीम का विवरण-

01- प्रभारी निरीक्षक राम स्वरुप वर्मा थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
02- प्रभारी निरीक्षक नागेश कुमार सिंह थाना मांची जनपद सोनभद्र।
03- उ0नि0 राहुल पाण्डेय चौकी प्रभारी सरईगढ़ थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
04- हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, हे0का0 अखिलेश राय, का0 अखिलेश कुमार, हे0का0 शैलेन्द्र यादव थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
05- हे0का0 अजय यादव, हे0का0 राधेश्याम यादव, हे0का0 अभिषेक सिंह थाना मांची जनपद सोनभद्र।